

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com

क्रमांक:प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा/सत्र 2018-19/पार्ट1/ 3191

जयपुर, दिनांक: 12/6/19

कार्यालय आदेश

निदेशालय द्वारा अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक प. 101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/2015-16/1853 दिनांक 18.05.2015 एवं परिपत्र क्रमांक प. 101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/स्वयंसेवी संस्था/2015-16/7370 दिनांक 08.06.2016 के अतिक्रमण में निम्नानुसार जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन किया जाता है:-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी(संयोजक)।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी।
3. जिला कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार।



(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांक:प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा/सत्र 2018-19/पार्ट1/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीया राज्य मंत्री महोदया, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान।
7. सहायक निदेशक चतुर्थ, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक